रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276432
CG-DL-E-23092026-276432

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 761] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948
No. 761] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 831(अ).— जबकि, गैस सिलेंडर नियम, 2016 में और संशोधन करने हेतु कतिपय नियमों के प्रारूप को, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षा अनुसार भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 461(अ), दिनांक 10 जून, 2026 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 10 जून, 2026 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और जबकि उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गैस सिलेंडर नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गैस सिलेंडर (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. गैस सिलेंडर नियम, 2016 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 6, उप-नियम (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

"परंतु सीएनजी/सीबीजी को मोटर वाहनों या इन नियमों के प्ररूप छ की शर्त 22 की उप-शर्त (iv) में विनिर्दिष्ट उपकरणों में वितरित किया जा सकेगा।

3. उक्त नियमों में, प्ररूप छ में, 'शर्त' शीर्षक के अधीन, शर्त 21 के पश्चात, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"22. सीएनजी/सीबीजी मोबाइल रीफ्यूलिंग यूनिट (एमआरयू) के लिए अतिरिक्त शर्तें- (1) सीएनजी एमआरयू उस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (सीजीडी कंपनी) के स्वामित्व वाली होगी जिसे संबंधित भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्राधिकृत किया गया हो और इसमें 'मुख्य विस्फोटक नियंत्रक' द्वारा अनुमोदित असेंबली शामिल होगी, जिसमें स्टोरेज कैस्केड, वितरण प्रणाली, पाइपिंग, होज़, प्रेशर-रेगुलेटिंग डिवाइस, सेफ्टी फिटिंग, ईएसडी सिस्टम, लेआउट, प्रचालन प्रक्रिया और आपातकालीन स्थिति से निपटने की व्यवस्था होगी।

(2) सीबीजी एमआरयू का स्वामित्व प्ररूप ङ और च के अधीन एक लाइसेंसधारी के पास होगा और इसमें मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित एक असेंबली शामिल होगी, जिसमें सीएनजी स्टोरेज कैस्केड, डिस्पेंसिंग यूनिट, पाइपिंग, होज़, प्रेशर-रेगुलेटिंग डिवाइस, सेफ्टी फिटिंग, ईएसडी सिस्टम, लेआउट, प्रचालन प्रक्रिया और आपातकालीन स्थिति से निपटने की व्यवस्था होगी।

(क) सीएनजी/सीबीजी एमआरयू में कम से कम दो आसानी से पहुंच वाले स्थलों पर मैन्युअली प्रचालित होने वाला 'फ़ेल-सेफ़' इमरजेंसी शट डाउन (ईएसडी) सिस्टम लगा होगा और यह सिस्टम कैस्केड और डिस्पेंसिंग लाइनों को अलग करने में सक्षम होगा और इसका विनिर्माता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर परीक्षण किया जाएगा तथा सक्रिय होने पर यह सीएनजी/सीबीजी आपूर्ति के स्रोतों को अलग करने या बंद करने और भरने की प्रक्रिया को तुरंत रोकने में सक्षम होगा।

(ख) सीएनजी/सीबीजी को इस शर्त की उप-शर्त (iv) में विनिर्दिष्ट मोटर वाहनों या उपकरणों को ईंधन टैंक के रूप में लगाए गए सीएनजी/सीबीजी गैस सिलेंडरों में ही वितरित किया जाएगा और मुख्य नियंत्रक द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किया जाएगा और ऐसे सिलेंडरों को भरना, नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन जारी वैध भरने की अनुमति के अधीन किया जाएगा, और जहां भी अपेक्षित हो, वैध अनुमति या अनुमोदन मुख्य नियंत्रक या संबंधित सक्षम सांविधिक प्राधिकरण से प्राप्त किया जाएगा।

(ग) सीएनजी/सीबीजी को केवल ऑन-बोर्ड सीएनजी/सीबीजी गैस सिलेंडरों में भरा जाएगा, जिन्हें ईंधन टैंकों के रूप में निम्नानुसार लगाया जाएगा-

(i) खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अंतर्गत आने वाली खानों के क्षेत्र के भीतर या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पत्तनों के भीतर संचालन करने वाले गैर-परिवहन वाहन;

(ii) भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव;

(iii) समुद्री बोर्ड, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, संबंधित पत्तन प्राधिकरण अथवा अन्य सक्षम समुद्री अथवा अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जैसा लागू हो, द्वारा अनुमोदित अंतर्देशीय अथवा समुद्री जलमार्गों पर संचालित जहाजों या नौकाओं; अथवा

(iv) केंद्रीय सरकार और मुख्य नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत परीक्षण प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए गए इंजनों, असाधारण परिस्थितियों में, लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए तथा ऐसे अतिरिक्त सुरक्षा उपायों, स्थल निरीक्षण, जोखिम आकलन एवं अन्य शर्तों के अधीन, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे, भारी उपकरण और मशीनरी या अन्य भारी वाहनों के ऑन-बोर्ड सीएनजी/सीबीजी गैस सिलेंडरों में ईंधन पुर्नभरण की अनुमति दे सकेंगे, जिन्हें ईंधन वितरण स्टेशनों पर नहीं लाया जा सकता है।

(घ) सीएनजी/सीबीजी एमआरयू केवल सीएनजी मदर स्टेशन के निर्दिष्ट क्षेत्र में या प्ररूप ङ और च में लाइसेंस प्राप्त सीएनजी/सीबीजी परिसर में भरा या चार्ज किया जाएगा और अनुमोदित लेआउट में दर्शाया जाएगा और एमआरयू को, यथास्थिति सीएनजी मदर स्टेशन या प्ररूप ङ और च के अधीन लाइसेंस प्राप्त परिसर, उनके एमआरयू विवरण और उस परिसर के लाइसेंस में आवश्यक संशोधन के साथ प्राप्त किया जाएगा, जिससे एमआरयू जुड़ा हुआ है।

(ङ) सीएनजी मदर/डॉटर/डॉटर-बूस्टर स्टेशन/ऑनलाइन स्टेशन के सिवाय, केवल प्ररूप छ में लाइसेंस प्राप्त परिसर में सीएनजी/सीबीजी एमआरयू, सीएनजी/सीबीजी को मोटर वाहनों या इस शर्त की उप-शर्त (iv) में विनिर्दिष्ट उपकरणों में लगाए गए ऑन-बोर्ड सीएनजी/सीबीजी गैस सिलेंडरों को ईंधन टैंक के रूप में वितरित करेगा।

(च) इस प्ररूप की सारणी 1क के होते हुए भी, सीएनजी/सीबीजी वितरण प्रचालन के दौरान, सीएनजी/सीबीजी एमआरयू के आस-पास विहित सुरक्षा दूरी को नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम दूरी के अनुसार हर समय बनाए रखा जाएगा:

गैस कैस्केड इकाइयों की कुल जल क्षमता (लीटर में)	भवनों और उनकी सीमाओं से न्यूनतम दूरी (मीटर में)
4500 तक	4.0
4500 से अधिक और	5.0

टिप्पणः मुख्य नियंत्रक सार्वजनिक सड़कों, प्रज्वलन स्रोतों, ओवरहेड विद्युत लाइनों, नालियों, बेसमेंट, खतरनाक भंडारण या अन्य असुरक्षित स्थानों से अधिक दूरी विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(छ) 10,000 लीटर से अधिक की कुल जल क्षमता वाले किसी भी सीएनजी/सीबीजी एमआरयू का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के साथ उसे मुख्य नियंत्रक द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए।

(ज) वितरण क्षेत्र को अप्राधिकृत व्यक्तियों की पहुंच से रोकने के लिए बाड़ (बैरिकेडिंग, चेन-लिंक बाड़, कोन या अन्य भौतिक बाधाओं सहित, अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में स्पष्ट चेतावनी संकेत हों) जैसे भौतिक साधनों द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। सीएनजी/सीबीजी एमआरयू प्रचालन प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कार्यकलापों के अलावा वितरण क्षेत्र में अन्य कार्यकलापों को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(झ) वितरण क्षेत्र के भीतर धूम्रपान, आग जलाने, मोबाइल फोन का उपयोग, हॉट-वर्क, अप्राधिकृत विद्युत उपकरण और सार्वजनिक पहुंच प्रतिबंधित होगी।

(ञ) ईंधन पुनर्भरण का कार्य सीजीडी इकाई या प्ररूप ङ और च के अधीन लाइसेंसधारी के कम-से-कम एक प्राधिकृत एवं प्रशिक्षित उत्तरदायी व्यक्ति की उपस्थिति तथा उसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में किया जाएगा, जिनके प्रशिक्षण अभिलेख सुरक्षित रखे जाएंगे तथा मांगे जाने पर प्रस्तुत किए जाएंगे, जो सीएनजी/सीबीजी से संबंधित जोखिमों तथा नियमों के संगत प्रावधानों और प्रपत्र-छ में लाइसेंस की शर्तों का समुचित ज्ञान रखता हो।

(ट) सीएनजी/सीबीजी एमआरयू के भरण का संचालन कार्य सीजीडी कंपनी या प्ररूप ङ और च के अधीन ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति या लाइसेंसधारी के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में किया जाएगा, जिसे सीएनजी/सीबीजी के सुरक्षित प्रबंधन एवं संवितरण के संबंध में सम्यक् प्रशिक्षण प्राप्त हो।

(ठ) सीएनजी/सीबीजी एमआरयू के कैस्केड के सिलेंडरों का डिजाइन आईएस-7285, आईएसओ-9809, आईएसओ-11119 अथवा मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकार्य किसी अन्य संहिता के अनुरूप होगा तथा उनका अधिकतम अनुमत कार्यकारी दाब 250 बार गेज से अधिक नहीं होगा, अथवा ऐसा दाब होगा जिसे मुख्य नियंत्रक द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किया गया हो और उक्त सिलेंडरों का समय-समय पर इन नियमों के अनुसार परीक्षण, निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा; वाल्व, प्रेशर रिलीव डिवाइस (पीआरडी) तथा फिटिंग्स अनुमोदित प्रकार के होंगे।

(ड) सीएनजी/सीबीजी एमआरयू से सीएनजी/सीबीजी के स्थानांतरण हेतु प्रयुक्त होज एवं कपलिंग्स सीएनजी/सीबीजी सेवा के लिए उपयुक्त होंगे, यांत्रिक तथा विद्युत रूप से सतत होंगे तथा उनका न्यूनतम ब्रस्ट प्रेशर, अधिकतम परिचालन दाब के चार गुना से कम नहीं होगा और इनका समय-समय पर दाब परीक्षण/रिसाव परीक्षण किया जाएगा तथा इनमें ब्रेकअवे कपलिंग, अतिरिक्त प्रवाह नियंत्रण अथवा त्वरित शट-ऑफ व्यवस्था तथा उपयुक्त बॉन्डिंग/अर्थिंग व्यवस्था लगी हुई होगी।

(ढ) सीएनजी/सीबीजी के पुनर्भरण हेतु प्रस्तावित वाहनों की सूची का सत्यापन महानिदेशक, खान सुरक्षा, पत्तन संरक्षक, संबंधित रेल प्रशासन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अन्य किसी ऐसे अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित परिसर स्थित हैं तथा जहां उक्त वाहनों का संचालन किया जाना है और अनुमोदित सूची को स्थल पर रखा जाएगा तथा किसी नए वाहन/उपकरण में ईंधन पुर्नभरण से पूर्व उसे अद्यतित किया जाएगा।

(ण) सीएनजी/ सीबीजी एमआरयू के आदान-प्रदान के कार्य के दौरान ईंधन भरने की गतिविधि पूर्णतः निलंबित रखी जाएगी और सभी वाल्व बंद रखे जाएंगे, जहां अपेक्षित हो संवितरण प्रणाली को दाब-मुक्त किया जाएगा, ईएसडी को सक्रिय रखा जाएगा तथा सुरक्षा क्षेत्र में किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति के उपस्थित रहने की अनुमति नहीं होगी।

(त) सीएनजी/सीबीजी वितरण क्षेत्र का पता लगाया जाएगा और उसका रख-रखाव किया जाएगा ताकि फायर टेंडर, एम्बुलेंस और इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों तक पहुंच सहित इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों की निर्बाध पहुंच और संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

(थ) वाहन के सीएनजी/सीबीजी एमआरयू, होज, कपलिंग या ईंधन टैंक से सीएनजी/सीबीजी के रिसाव को रोकने के लिए हर संभव सावधानी बरती जाएगी और कोई भी वितरण तब तक आरंभ नहीं होगा जब तक कि होज, कपलिंग, वाल्व, डिस्पेंसर और रिसीविंग फ्यूल सिस्टम की वास्तविक रूप से जांच नहीं की जाती है और रिसाव-मुक्त नहीं पाया जाता है।

(द) आपात स्थिति के मामले में कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक स्थल हेतु स्थल-विशिष्ट आपातकालीन योजना तैयार की जाएगी, और ऐसी आपातकालीन योजना की प्रति जिला मजिस्ट्रेट, स्थानीय अग्निशमन सेवा, पुलिस प्राधिकरण और क्षेत्राधिकार नियंत्रक/मुख्य नियंत्रक, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, को प्रस्तुत किया जाएगा; स्थल पर प्रदर्शित किया जाएगा, ऑपरेटरों को सूचित किया जाएगा, और समय-समय पर मॉक ड्रिल के माध्यम से जांच की जाएगी।

(ध) सीएनजी/सीबीजी एमआरयू का उपयोग सार्वजनिक सड़कों, आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक पार्किंग क्षेत्रों, बेसमेंट, संलग्न परिसर या किसी भी स्थान पर सार्वजनिक खुदरा वितरण के लिए नहीं किया जाएगा, जिसके लिए विशेष रूप से अनुमोदन प्रदान न किया गया हो।

(न) प्ररूप ङ और च के अधीन लाइसेंसधारी या सीजीडी इकाई, सीएनजी/सीबीजी एमआरयू भरने, वितरण, प्रेशर रीडिंग, वाहन/उपकरण विवरण, ऑपरेटर विवरण, रिसाव जांच, ईएसडी जांच, होज परीक्षण, रख-रखाव, कमी, मरम्मत और दुर्घटनाओं का अभिलेख बनाए रखेगी। ऐसे अभिलेख मांगे जाने पर निरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

(प) आवाजाही के दौरान, सीएनजी/सीबीजी एमआरयू इन नियमों और तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य लागू विधि के अधीन लागू परिवहन प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

स्पष्टीकरण- अतिरिक्त शर्तों के प्रयोजनों के लिए, "सीएनजी/सीबीजी मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट" या " सीएनजी/सीबीजी एमआरयू" से अभिप्रेत है एक मोबाइल असेंबली जिसमें सीएनजी/सीबीजी स्टोरेज कैस्केड, डिस्पेंसिंग यूनिट, पाइपिंग, होसेस, कपलिंग, वाल्व, प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस, सेफ्टी फिटिंग, इमरजेंसी शट डाउन सिस्टम और अन्य संबंधित उपकरण शामिल हैं, जो वाहन, ट्रेलर, स्किड या किसी अन्य मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगे हैं, जिसका आशय सीएनजी/सीबीजी ईंधन सिलेंडर या ईंधन प्रणालियों में सीएनजी/सीबीजी को ऐसे प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अनुमोदित साइट पर वितरित करना है।

[फा. सं. पी-13033/32/2021-विस्फोटक-भाग(3)]

डॉ. काजल, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में, अधिसूचना संख्या 1081 (अ), तारीख 22 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात इसमें निम्नानुसार संशोधन किया गयाः-

(1) सा.का.नि. 189(अ) तारीख 27 फरवरी, 2018;

(2) सा.का.नि. 231(अ) तारीख 15 मार्च, 2018;

(3) सा.का.नि. 44(अ) तारीख 23 जनवरी, 2019;

(4) सा.का.नि. 44(अ) तारीख 20 जनवरी, 2022;

(5) सा.का.नि. 225(अ) तारीख 11 अप्रैल, 2025;

(6) सा.का.नि. 386(अ) तारीख 16 जून, 2025;

(7) सा.का.नि. 501(अ) तारीख 28 जुलाई, 2025;

(8) सा.का.नि. 839(अ) तारीख 12 नवम्बर, 2025;

(9) सा.का.नि. 315(अ) तारीख 27 अप्रैल, 2026 और

(10) सा.का.नि. 447(अ) तारीख 5 जून, 2026

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2026

G.S.R. 831(E).— Whereas, the draft rules further to amend the Gas Cylinders Rules, 2016, were published, as required under sub-section (*1*) of section 18 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade), number G.S.R. 461 (E), dated 10th June, 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (*i*), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 10th June, 2026;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Gas Cylinders Rules, 2016, namely: –

1. **Short title and commencement.** – (*1*) These rules may be called the Gas Cylinder (Third Amendment) Rules, 2026.

(*2*) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Gas Cylinder Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 6, sub-rule (*4*), the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided that CNG/CBG may be dispensed into motor vehicles or the equipment specified in sub-condition (*iv*) of Condition 22 of Form G of these rules.".

3. In the said rules, in Form G, under the heading 'CONDITIONS', after condition 21, the following condition shall be inserted, namely:–

"22. Additional conditions for CNG/CBG Mobile Refueling Units (MRUs). – (*1*) A CNG MRU shall be owned by a City Gas Distribution company (CGD company), authorised for the concerned geographical area and shall comprise an assembly approved by the Chief Controller, including its storage cascade, dispensing system, piping, hoses, pressure-regulating devices, safety fittings, ESD system, layout, operating procedure and emergency response arrangement.

(*2*) The CBG MRU shall be owned by a licensee under Form E&F and shall comprise an assembly approved by the Chief Controller, including its storage cascade, dispensing system, piping, hoses, pressure-regulating devices, safety fittings, ESD system, layout, operating procedure and emergency response arrangement.

(a) A CNG/CBG MRUs shall be equipped with a fail-safe, manually operable Emergency Shut Down (ESD) system, operable from at least two accessible locations, capable of isolating the cascade and dispensing lines, and of shutting off the CNG/CBG supply sources and immediately terminating dispensing operations when activated, and tested periodically in accordance with the manufacturer's procedure.

(b) CNG/CBG shall be dispensed only into on-board CNG/CBG gas cylinders fitted, as fuel tanks, to motor vehicles or equipment specified in sub-condition (iv) of this Condition and duly approved by the Chief Controller and the filling of such cylinders shall be carried out under a valid filling permission issued under sub-rule (*1*) of rule 3, and valid permission or approval, wherever required, shall be obtained from the Chief Controller or the competent statutory authority concerned.

(c) CNG/CBG shall be dispensed only into the on-board CNG/CBG gas cylinders, fitted as fuel tanks, of –

(i) non-transport vehicles operating within the area of mines covered under the Mines Act, 1952 (35 of 1952) or within ports notified by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways;

(ii) locomotives of the Indian Railways;

(iii) ships or boats operated on inland or seaborne waterways, approved by the Maritime Board, the Inland Waterways Authority of India, the port authority concerned or any other competent maritime or inland waterways authority, as applicable; or

(iv) engines under test at testing laboratories authorized by the Central Government and the Chief Controller may, in exceptional circumstances, for reasons to be recorded in writing and subject to such additional

safeguards, site inspection, risk assessment and conditions as he may specify, permit the refueling of on-board CNG/CBG gas cylinders of heavy equipment and machinery or other heavy vehicles that cannot be brought to the fuel dispensing stations.

(d) The CNG/CBG MRU shall be filled or charged only in the designated area of a CNG mother station or filling premises for CNG/CBG licensed in Form E&F, and shown in the approved layout and the MRUs shall be attached to the CNG mother station, or premises licensed under Form E&F, as the case may be, along with their MRU details and necessary amendments in the licence of the premises to which the MRU is attached shall be obtained.

(e) The CNG/CBG MRU shall dispense CNG/CBG into on-board CNG/CBG gas cylinders fitted to motor vehicles or equipment specified in sub-condition (iv) of this Condition, as fuel tanks, only in the premises licensed in Form G, except CNG mother/daughter/daughter-booster station/online station.

(f) Notwithstanding Table I-A of this Form, during CNG/CBG dispensing operations, the prescribed safety distance around the CNG/CBG MRU shall be maintained at all times, in accordance with the minimum distances specified below:

Total water capacity of gas storage cascade units (in liters)	Minimum distance from buildings and boundaries (in meters)
Up to 4,500	4.0
More than 4,500 and	5.0

***Note**: The Chief Controller may specify higher distances from public roads, ignition sources, overhead electrical lines, drains, basements, hazardous storage or other vulnerable locations.*

(g) CNG/CBG MRU having a total water capacity exceeding 10,000 liters shall not be used unless specifically permitted by the Chief Controller with additional safeguards.

(h) The dispensing area shall be protected by physical means such as a fence (barricading, chain-link fencing, cones or other physical barriers, with conspicuous warning signs in English, Hindi and the local language) to prevent access by unauthorised persons and activities other than those directly related to the CNG/CBG MRU operation shall not be permitted in the dispensing area.

(i) Smoking, open flame, mobile phone use, hot work, unauthorized electrical equipment and public access shall be prohibited within the dispensing area.

(j) The refueling operation shall be carried out in the presence of and under the direct supervision of at least one authorized and trained responsible person of the CGD entity, or the licensee under Form E&F, whose training records shall be maintained and produced on demand, who is conversant with the hazards associated with CNG/CBG and the relevant provisions of the Rules and conditions of licence in Form-G.

(k) The filling operation of the CNG/CBG MRU shall be conducted under the direct supervision of a responsible person of the CGD company, or the licensee under Form E&F, who has been duly trained in the safe handling and dispensing of CNG/CBG.

(l) The cylinders of the cascade of the CNG/CBG MRU shall be designed as per IS-7285, ISO-9809, ISO-11119 or any other code acceptable to the Chief Controller and shall have a maximum allowable working pressure of not exceeding 250 Bar gauge, or such pressure as may be specifically approved by the Chief Controller and shall be periodically tested, inspected and certified in accordance with these rules; valves, pressure relief devices (PRDs) and fittings shall be of approved type.

(m) The hose and couplings for the transfer of CNG/CBG from the CNG/CBG MRU shall be suitable for CNG/CBG service, shall be mechanically and electrically continuous, and shall have a minimum burst pressure of not less than four times the maximum operating pressure and shall be periodically pressure tested/leak-tested and these shall be fitted with a breakaway coupling, an excess-flow or quick shut-off arrangement, and a suitable bonding/earthing arrangement.

(n) The list of vehicles proposed to be refueled with CNG/CBG shall be vetted by the Directorate General of Mines Safety, the Conservator of Ports, the railway administration concerned, the Inland Waterways Authority of India or any other competent authority under whose jurisdiction the premises are situated and the vehicles are to be operated and the approved list shall be maintained at the site and updated before any new vehicle/equipment is refueled.

(o) The fueling activity shall be fully suspended during the CNG/CBG MRU exchange operation and all valves shall be closed, the dispensing system depressurized wherever required, the ESD kept activated, and no unauthorized person shall remain in the safety zone.

(p) The CNG/CBG dispensing area shall be located and maintained so as to ensure unhindered access and operation of emergency response vehicles, including fire tenders, ambulances and emergency response vehicles.

(q) Every measure shall be taken to avoid leakage of CNG/CBG from the CNG/CBG MRU, hose, coupling or the fuel tank of the vehicle and no dispensing shall commence unless hoses, couplings, valves, dispenser and receiving fuel system are visually checked and found leak-free.

(r) A site-specific emergency plan for each site shall be prepared for implementation in case of emergency, and the copy of such emergency plan shall be submitted to the District Magistrate, local fire service, police authority and jurisdictional Controller/Chief Controller, as may be specified; displayed at the site, communicated to operators, and tested through periodic mock drills.

(s) CNG/CBG MRU shall not be used for public retail dispensing on public roads, residential areas, commercial parking areas, basements, enclosed premises or any place not specifically approved.

(t) The licensee under Form E&F or CGD entity shall maintain records of CNG/CBG MRU filling, dispensing, pressure readings, vehicle/equipment details, operator details, leak checks, ESD checks, hose testing, maintenance, defects, repairs and incidents. Such records shall be produced before the inspecting authority on demand.

(u) During movement, the CNG/CBG MRU shall comply with the applicable provisions for transport of cylinders under these rules and any other applicable law for the time being in force.

Explanation. – For the purposes of additional conditions, the expressions “CNG/CBG Mobile Refueling Unit” or “CNG/CBG MRU” means a mobile assembly comprising CNG/CBG storage cascade, dispensing unit, piping, hoses, couplings, valves, pressure regulating devices, safety fittings, emergency shut down system and other associated equipment mounted on a vehicle, trailer, skid or any other mobile platform, intended for dispensing CNG/CBG into approved onboard CNG/CBG fuel cylinders or fuel systems at a site specifically approved for such purpose.

[F. No. P-13033/32/2021-EXPLOSIVE-Part (3)]

Dr. KAJAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the official Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (*i*) *vide* notification number 1081(E) dated 22nd November, 2016 and subsequently amended as follows:–

(1) G.S.R. 189(E) dated 27th February, 2018;
(2) G.S.R. 231(E) dated 15th March 2018;
(3) G.S.R. 44(E) dated 23rd January, 2019;
(4) G.S.R. 44(E) dated 20th January 2022;
(5) G.S.R. 225(E) dated 11th April, 2025;
(6) G.S.R. 386(E), dated 16th June, 2025
(7) G.S.R. 501(E) dated 28th July 2025;
(8) G.S.R. 839(E) dated 12th November, 2025;
(9) G.S.R. 315(E), dated 27th April, 2026 and
(10) G.S.R. 447(E), dated 5th June, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA